भारत में महिला सुरक्षा
पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ0 हेमलता

पोस्ट–डॉक्टरल फैलो0, इतिहास विभाग,

कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महा0 वि0, बादलपुर गौतमबुद्धनगर उ0प्र0

सारांश

हर साल की तरह महिला दिवस भी इस वर्ष 8 मार्च 2018 को जोरो शोरो से मनाया गया। आंकडो के अनुसार घूमने की आजादी में केवल 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि पिछले साल यह प्रतिशत 33 प्रतिशत था बाजार जाने में 54 प्रतिशत 50 प्रतिशत अस्पताल जाने की स्वतन्त्रता 48 प्रतिशत सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतन्त्रता लेकिन इस स्वतन्त्रता के साथ–साथ महिलाओं को अनदेखी नहीं किया जा सकता। अकेले यू0पी0 में 37 प्रतिशत महिला अपराधों में वृद्धि हुई है जो 2015 के मुकाबले 37.19 प्रतिशत अधिक है सर्वाधिक दुराचार के मामलो में मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है 2016–17 में 45 वर्ष में 15 गुना दुराचार के मामलों में वृद्धि हुई है। लोक–सभा राज्य–सभा विधानसभाओं और परिषदों में महिलाओ की संख्या इस समय (2016–17) में 4,896 और 418 संख्या महिला एमपी व एम0एल0ए0 की है। बावजूद इसके देश में महिला सुरक्षा को लेकर स्थिति गम्भीर है ।

महिला सुरक्षा के लिए 1366 करोड रुपये का 2018 का बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर तो बना सकता है लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। अतः योजनाओं के साथ–साथ महिला सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों व कानून को गम्भीरता से लागू करने का निर्णय लेना होगा।

Reference to this paper should be made as follows:
डॉ0 हेमलता

भारत में महिला सुरक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

RJPP 2018, Vol. 16, No. 1, pp. 11-18, Article No. 15
Received on 04/01/2018
Approved on 31/01/2018

***Online available at** : http://anubooks.com/?page_id=2004*

किसी भी देश के गौरव व सम्मान में महिलाओं का अपना एक प्रमुख स्थान रहा है। आदिकाल से भारत में नारी को माता एवम देवी के रुप में एक गौरवमयी स्थान प्राप्त है जहाँ एक और महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया जा रहा है वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाएं जारी होने के बावजूद महिलाओ के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है प्रदेश सरकार जनता को लाख दिलासा दे लेकिन यह सत्य है कि आज भी महिलाऐं देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है हंसा रिसर्च के आंकडों के अनुसार भारत में महिला सुरक्षा को लेकर 50 प्रतिशत लोग पुलिस पर विश्वास नहीं करते संगम नगरी इलाहाबाद में 70 प्रतिशत लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते ।

महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित अविश्वास का आकंडा छोटे व बड़े शहरों में समान पाया गया है। छेड़खानी के मामलों में 88 प्रतिशत 6.5 प्रतिशत महिलाओं का पीछा करना 54 प्रतिशत यौन उत्पीडन 30 प्रतिशत के आंकडे दर्शाता है उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ दिन में बाहर निकलने वाली स्त्रीयों में से सिर्फ 30 फीसदी ही सुरक्षा महसूस करती है। रात में 19 फीसदी महिलाएँ घर से बाहर अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है।

चिंता का विषय यह है कि जितने बड़े शहर है उतनी ही असुरक्षा देखने को मिलती है छोटे शहरों के साथ बडे शहर जैसे दिल्ली महिला अपराध में सबसे आगे है इसके अलावा सर्वे के अनुसार (लखनऊ) और इलाहाबाद दिन के वक्त महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। रात के समय में इन दोनों शहरों के साथ (आगरा) तथा (झांसी) भी शामिल है सर्वे में लोगों की राय द्वारा मालूम हुआ कि दिन में बाहर निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा में (झांसी) (वाराणसी) और (बरेली) अपेक्षाकृत कम असुरक्षित है। इलाहाबाद को 36 प्रतिशत तथा लखनऊ में 28 प्रतिशत यौन उत्पीड़न द्वारा घटनाओं के प्रति डर की भावना है उत्तर प्रदेश के राज्य में स्वस्थ सेवाएं 7.2 प्रतिशत शिक्षा (प्राथमिक और उच्च शिक्षा 6.7 प्रतिशत) (पीने का पानी 6.3 प्रतिशत) सडक 4.9 प्रतिशत स्वच्छता व प्रबन्धन प्रदूषण 4.8 प्रतिशत बिजली 4.6 प्रतिशत (महिला सुरक्षा 4.5 प्रतिशत) व रोजगार के अवसर 4.4 प्रतिशत का आंकडा पार कर गए है।

अपनी ही बेटी की मर्माहत हत्या कर परिवार की मर्यादा बचाने के नाम पर ऑनर किलिंग के मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मुख्य स्थान पर है आंकडों से प्राप्त 5000 से ज्यादा हत्याएं विश्व में प्रतिवर्ष इज्जत के नाम होती है।

भारत में 2,549 हत्या के मामले प्रेम सम्बन्धों के कारण होते है 2012 तक 90 फीसदी मामलों में हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश प्रमुख है। समाज का एक वर्ग आज भी पुरानी रिवाजों से चिपका है जो निजी स्वतन्त्रता को मान्यता नहीं देता। भारत में महिलाओं को रोजगार शिक्षा और सरकार चुनने की स्वतन्त्रता तो है परन्तु जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता क्यों नहीं है। सन 2009 से 2012 के बीच नसबंदी में लापरवाही से 70 प्रतिशत महिलाएं मौत की चपेट में आ गई इसी से ज्ञात होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर 2009 से अब तक 56 प्रतिशत मौते हुई है। हाल ही की एक रिपोर्ट अनुसार पता किया गया कि किस देश में सबसे अधिक लोग भूख से

मारे गए भारत में इस दिशा में थोड़ी से प्रगति पाई गई है लेकिन बावजूद इसके 25 प्रतिशत लोग भूख का शिकार है एक अन्य रिपोर्ट द्वारा दुनिया में स्त्री पुरुष समानता का स्तर क्या है जानने के लिए 2012 में भारत में स्तर गिरा हुआ पाया गया स्त्री पुरुष समानता में भारत का स्थान 142 देशों में से ग्यारहवां था जो अब 114 वे स्थान पर आ गया है इस रिपोर्ट को किसी वामपंथी संस्था ने नहीं बल्कि (विश्व आर्थिक फोरम) द्वारा तैयार किया गया है हमारे देश में महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ बोलती कुछ नहीं बल्कि नकारती भी नही है । उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत सगे रिश्तेदारों के बीच हिंसा के मामले पाए गए है ऐसे ही लाखों परिवारों मे आपसी सम्बन्धों में कितनी पीड़ा दर्द और चीखे छिपी है ना जाने कितनी ही सुनी अनुसुनी अभिलाषाओं को रौदां गया होगा यह सभी तस्वीरें परेशान करने वाली व चिंतनीय है महिलाओं को शिक्षा व रोजगार देने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं जैसी योजनाएं उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक प्रयासरत है लेकिन महिलाओं को सुरक्षित समाज देने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने होगे। महिलाओं के प्रति हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी । ऐसा आश्वासन सरकार को दिलाना होगा एक तरफ जहाँ यूपी में महिला अपराध के मामले बढ़े है वही दोषियों के सजा की दर घटी है उत्तर प्रदेश में दोषियों की दर 2007 में 29 प्रतिशत थी वहीं 2016 में यह दर घटकर 18.9 ही रह गई है।

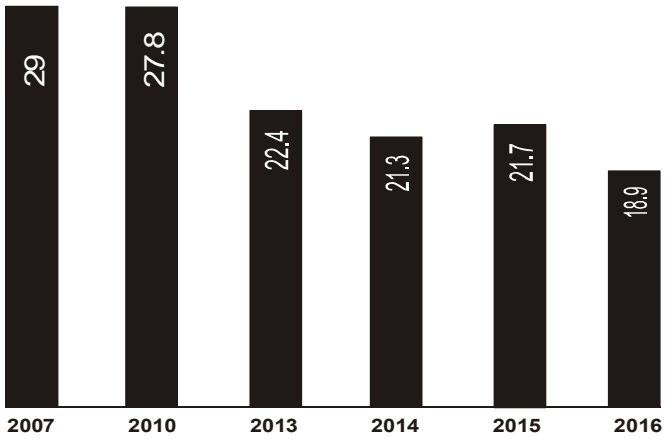

हर साल की तरह महिला दिवस भी 8 मार्च 2018 को जोरो–शोरों से मनाया गया सर्वे के अनुसार 2017–18 में राजनीतिक, व आर्थिक क्षेत्र में निर्णायक पदों पर महिलाओं की भागेदारी बढ़ी है सेना से लेकर सभी क्षेत्रों में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पिछे नहीं है वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है जिसमें 95 प्रतिशत फैसलों में पुरुष महिलाओं की राय लेते है इसके अलावा वर्ष 2006 में कमाऊ महिलाओं की संख्या में दौगनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन राजनीतिक की बात कहें तो केवल नौ प्रतिशत महिलाएं ही राजनीतिक में भाग ले रही है महिलाएं जिस तेजी

से आगे बढ़ रही है उसी तेजी से उस पर अपराध भी हावी है। 45 साल में यह संख्या बढ़कर 2016 से 15 गुना बढी है महिलाओं पर प्रतिवर्ष सात हजार महिलाएं या कहे प्रतिदिन 20 महिलाओं की हत्या दहेज की वजह से होती है भारत में 1971 में रेप के 2,487 आँकडे दर्ज हुए। भारत जैसे देश में महिला सम्बन्धी अपराधों की संख्या 3,38,954 पाई गई है यानि 45 साल में यह संख्या 15070 गुना बढ़ी है। दुराचार के मामलों में 39,068 मामले पाए गए है, 2171 लडकियाँ गैंग रेप की शिकार हुई है उत्तर प्रदेश मे अकेले 4,817 मामले दुराचार के पाए गए है जिसे 16 हजार दुराचार 18 साल से कम तथा 520 मामले वे है जिसमे पीडिताओं की उम्र 6 वर्ष से भी कम है अतः एक साल में यूपी में 37 प्रतिशत मामलों में वृद्धि हुई है जिसमे यूपी में 14.5 प्रतिशत महिला अपराध दर्ज किए गए यहां नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 –17 में यूपी मे 49,262 महिला अपराध दर्ज किए गए है जो 2015 के मुकाबले 37.19 प्रतिशत से ज्यादा है। 2015 में 35,908 अपराध के मामले दर्ज किए गए।

महिला अपराध के मामलो में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार दर्ज मामले इस प्रकार से है—

दुराचार का प्रयास में 5732, यौन शोषण व छेड़छाड़ के मामले 80410 दहेज निषेध कानून के मामले 9683 दहेज हत्या 7462, एसिड अटैक के 225 मामले, अपहरण के 66,544 मामले इन सभी में 33,796 अपहरण व जबरन शादी के मामले तथा 40 प्रतिशत महिला दुराचार के मामले अकेले दिल्ली में दर्ज है जबकि मुम्बई में 712 मामले, पुणे में 354 मामले जयपुर में 330 मामले और बंगलुर में 321 मामले पाए गए है हाल ही के वर्षों में महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों में 2017–18 में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है । भारत में महिलाओं की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं से सम्बन्धित मुददों को उठाने मे वे वाजिद संख्या रखती है फिर भी महिलाओं से जुड़े निर्णयो मे अपेक्षित महिला वर्ग ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई देती इसके लिए सरकार को प्रभावी नीतियां बनानी होगी संसद में जब महिलाओ की संख्या ज्यादा होगी तो महिलाओं से सम्बन्धित मुददे सुलझाने में भी वृद्धि होगी।

महिला अधिकार सुरक्षा कानून

महिला अधिकार सुरक्षा कानून द्वारा महिलाओं को स्वयं निडर व सक्षम बनाना चाहिए, अपनी हिम्मत व स्त्री शक्ति को अपनी ढाल बनाकर ऐसे संर्कीण सोच वाले अत्याचारी समाज से लड़ना होगा क्योकि जो डरता है दुनिया उसे और डराती है।

भारत में कड़ी सजा के प्रावधान कुछ केसों में ही है लेकिन ये प्रावधान महिला हिंसा के मामलों में कुछ हद तक धुधंले है जिसका लाभ गुनाहगारों को ही मिलता है और पीड़ित न्याय से वंचित रह जाती है अतः सरकार को इस सम्बन्ध में सख्त कानून बनाने होंगे जिसमें वकील डाक्टर, सामाजिक संगठन, निवश्त न्यायधीश पुलिस के आला अफसर, मनोचिकित्सक व समाजशास्त्रों तथा मीडिया की एक टीम या समिति बनाई जाए जिसमें महिला युवा वर्ग के प्रतिनधि भी हो तथा किसी भी राजनीतिक पक्ष का दबाव न हो केवल कानून बनाने से गुनाहगारों

को न्याय नहीं मिलेगा गुनाहगारों को काउन्सलिंग केन्द्र तथा पीड़िता को पुर्नवास केन्द्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए इसके लिए पुलिस तथा स्थानीय व्यवस्था को अपना सहयोग प्रदान करना होगा महिला हेल्प लाइन द्वारा सहयोग देना होगा जैसे womens helpline all india 1091/ 1090 National Commission for women (New Delhi 0111 23219750) आदि पर तुरन्त सुविधा द्वारा अपराधों को कम किया जा सकता है। भारतीय संस्कारों की शिक्षा की प्रणाली व संस्कारों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देने होगे तभी नारी सुरक्षित व सबल रह जायेगी। लैंगिक असमानता को तोड़ना होगा महिला की सुरक्षा अब स्वयं महिलाओं तक ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण देश की जिम्मेदारी है परिस्थितियों से भागने की बजाए खुद को सक्षम बनाना होगा।

परिकल्पना

1—महिला सुरक्षा सामाजिक व परम्परागत ढाँचा।

2—महिला सुरक्षा सबसे बडी चुनौती व समस्या।

3—महिला सुरक्षा कानून सम्बन्धी प्रक्रिया।

4—भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

शैक्षित स्तर पर

सामाजिक स्तर पर

राजनैतिक स्तर पर

एक अनुभाविक व विकासात्मक अध्ययन

शोध ग्रन्थावली

लोकसभा, नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे—3 के अनुसार—

नसबंदी से जुड़ी भ्रान्तियों के कारण जहाँ पुरुष बच निकलते हैं, वही परिवार नियोजन का सरकारी लक्ष्य पूरा करने के लिए यह जोखिम भी महिलाओं को ही उठाना पड़ता है।

2009—12 के बीच नसबन्दी में लापरवाही से 70 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हुई हैं। जो वर्ष 2009 में 247 मौतें, 2010 में 203 मौतें, 2011 में 201 मौते, 2012 में 56 मौतें हुई हैं।

द विडो आफ वृंदावन — कुसुम असंल हार्पर कांउन्सलिंग इण्डिया—

इस किताब में लेखिका ने वृंदावन की गलियों में जिंदगी का पता ढूढंने की कोशिश की है, जहां जहां बैंरग लिफाफों में दर्ज है, अनगिनत, अनकही और अनसुनी कहानियां कुसुम अंसल ने अपनी लेखकीय टिप्पणी में कहा है कि वे छह महीने तक वृंदावन की गलियों में इन विधवाओं के बीच रही और उस जीवन को आत्मसात करके यह रचना की है।

स्टीव अर्लः–

हमारे समाज में किसी भी रुप में मौजूद रहने वाला कट्टरवाद मूल विचार और धन दोनों का शत्रु है।

यू0 एन0, एन0सी0आर0वी0 और ए0डी0डब्ल्यू ए0 के आंकड़ों के अनुसार – समाज का एक तबका आज भी रुढ़िवादी रिवाजों से चिपका है जो निजी स्वतंत्रता को कुछ नहीं मानता 5000 हत्यांए विश्व में इज्जत के लिए होती है। जबकि भारत में आनर किलिंग के आकड़े प्रतिवर्ष 1000 है। जिसमें 90 फीसदी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में हंसा रिसर्च के अनुसार –महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर प्रदेश सरकार जनता को लाख भरोसा दिलाए लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा चिंताजनक स्थिति तक हट गया है।

तस्लीमा नसरीनः–

चर्चित पाकिस्तानी लेखिका द्वारा लेख में अपनी राय के अनुसार नजर अगर सचमुच बुरी होती होगी तो वे पर्दे में ढकी औरतों पर भी टिकेगी और नीयत साफ होगी तो कम कपड़ों में भी लड़कियों, महिलाओं को देखकर भी गलत ख्याल नहीं आयेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार–हमारे देश में मार्तत्व मृत्यु दर मे कमी आई है, लेकिन अब भी भारत में सबसे, ज्यादा जननी की मौते होती है अपेक्षा एवं कम उम्र में लड़कियों की शादी के कारण भारत मे मातृत्व मृत्यु दर ज्यादा है। सहाविद लक्ष्य को हासिल करने के लिए मातृत्व मृत्यु दर को 103 पर लाने की जरुरत है।

पत्र लेखा चटर्जी–

विकास संबंधी मुद्दों पर लिखने वाली वरिष्ठ स्तंभकार

16 दिसम्बर 2012 में हुई उस सामूहित बलात्कार की घटना के बाद 2012 से 2013 के दौरान दिल्ली में बलात्कार के दौगुने मामले दर्ज किये गये हैं । पुलिस कहती है कि ऐसा रिपोर्ट अधिक दर्ज करने के कारण है। मगर मैं जिन युवा महिलाओं को जानती हूँ उनमें से अधिकांश की राय है कि वह इस शहर को सुरक्षित नहीं मानती।

(शोध प्रस्तावित रुपरेखा)

1. भारतीय पारम्परिक समाज एवम महिलाओं की स्थिति।
2. परिकल्पना एवम साहित्यक सर्वेक्षण।
3. अध्ययन क्षेत्र एवं परिचयांकन।
4. वर्तमान में महिलाओं की हत्या सम्बन्धी कारण।
5. राजनीतिक सम्बन्धी विकास में महिलाओं की भागेदारी (पृष्ठभूमि)
6. वर्तमान सामाजिक स्तर पर महिला सम्बन्धी विकासात्मक अध्ययन

(2012 से 2020) तक।

7. निष्कर्ष

सन्दर्भ

- Ela R Bhatt इला0 आर0 भट्ट, आक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस, 2006
- महिलाओं द्वारा रात में नाईट षिफ्ट और भारत में महिला काल सैन्टर सम्बन्धी व्यवस्था।
- रीना पटेल– स्टेनफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस 2010 महिलाओं में जन्मजात एड्स तथा HIV / AIDS
- प्रभा केटिस्बरना– प्रिन्सटेशन यूनिर्वसिटी, 2011 भारत में महिला उच्च शिक्षा एवं पंसद एवं इरादे।
- सिंह नर्नदता – फार्म आन पब्लिक पालिसी जनरल आफ दा आक्सफोर्ड राउन्ड टेबल, सिप्रिंग 2008 भारत में महिला कानून।
- George, जयशिला – Peer - reviewed Publication on Questia are publications containing articles which were subject to evaluation for accuracy and substance by professional peers of the articles author(s)
- Journal of Marriage and family, **Vol. 66 No.5, December 2004**

Peer Reviewed Periodical

Peer reviewed publications on Questia are publications containing articles which were subject to evaluation for accuracy and substnce by professional peers of the article's author(s).

Patricia Jeffery; Roger Jeffery.

Westview Press, 10996

- Siva and Her Sisters: Gender, Caste, and Class in Rural South India Karina Kapadia.**Westview Press, 1995**
- Faces of the Feminine in Ancient, Medieval, and Modern India Mandakranta Bose.
- Oxford University Press, 2000, Women, Education and Family Structure in India. Carol Chapnick Mukhopadhayay; Susan Seymour.
- आंकडे एन सी आर वी 2016
- आईएएनएस 1912–17
- अनीता सिंह वूमेन सेफ्टी गोआ इण्डिया 2017
- 23 जनवरी 2018 अमर उजाला
- 29 जनवरी 2018 अमर उजाला
- 30 जनवरी 2018 अमर उजाला पेज 2

- 30 जनवरी **2018** अमर उजाला पेज 13
- 2 फरवरी **2018 पेज 1, 15**
- 5 फरवरी **2018** पेज 12 वरिष्ठ पत्रकार पत्रलेखा चटर्जी का लेख।
- नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (**2017** के अनुसार)
- यू एन वुमन और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (**2017** की रिपोर्ट)
- अमर उजाला 8 मार्च **2018 पेज स. 1, 19**